निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या **26** वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के माह 10/2015 से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रवि प्रकाश पाठक व श्री दीपक मालवीय , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.07.2017 से 18.07.2017 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस. के. सिंह व श्री राम सनेही, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 06.05.2015 से 11.05.2015 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2011 से 04/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

   (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः जिला, अल्मोड़ा

   (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	4.24	4.02	0.86	0.88	-	-
2015-16	-	-	4.35	4.13	1.10	1.08	-	-
2016-17	-	-	5.10	4.21	1.13	1.23	-	-

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः ---

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः शून्य

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी 'सी' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद्
प्रमुख सचिव (राजस्व)
सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त
आयुक्त गढवाल मण्डल
अपर सचिव (राजस्व)
जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिलाधिकारी, अल्मोडा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

....शून्य...

भाग 2 'ब'

प्रस्तर-1- दैवी आपदा मद के अन्तर्गत वितरित धनराशि रू 194.75 लाख का सत्यापन न कराया जाना।

गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 32-7/2014-NDM-I आपदा प्रबंध विभाग दिनांक 8- अप्रैल-2015 के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत पूर्ण क्षतिग्रस्त, तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त, आंशिक क्षतिग्रस्त भवनों एवं क्षतिग्रस्त झोपड़ी हेतु दैवी आपदा मद में लाभार्थियों को वितरित धनराशि के उनके द्वारा उपयोग के उपरांत क्षतिग्रस्त भवन का अधिकृत निर्माण होने का सत्यापन राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

कार्यालय जिलाधिकारी अल्मोड़ा के दैवी आपदा धनराशि वितरण से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2015-16 में 12 तहसीलों को पूर्ण आंशिक एवं तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त भवनों के 369 स्वामियों को भवन मरम्मत/पुर्ननिर्माण हेतु रू 85.89 लाख एवं 2016-17 में 459 भवन स्वामियों का रू 108.86 लाख अर्थात कुल रू 194.75 लाख की धनराशि वितरित की गयी थी, परन्तु भारत सरकार के दिशानिर्देशों के विपरीत वितरित धनराशि के वास्तविक उपयोग का सत्यापन राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारियों से कराये जाने हेतु जिलाधिकारी कार्यालय अथवा तहसील स्तर से कोई कार्यावाही नही की गयी थी।

उपरोक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि तहसीलों को भवन मरम्मत के उपरांत भवन निर्माण हेतु उपयोग की गयी धनराशि के सत्यापन हेतु निर्देश जारी किये जायेगें।

अतः दैवी आपदा मद में वितरित धनराशि रू 194.75 लाख के वास्तविक उपयोग का सत्यापन न कराये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-2- लंबित वसूली रू 281.61 लाख।

कार्यालय जिलाधिकारी अल्मोड़ा के विविध देयों की मदवार प्राप्त वसूली प्रमाण पत्रों एवं उसके सापेक्ष विभागीय परिव्यय सहित वसूलियों से संबंधित अभिलेखों की जांच (जुलाई-2017) में पाया गया कि जून-2017 तक सात विभिन्न मदों में 787 वसूली प्रमाण पत्रों के सापेक्ष रू 2,56,00,583.17/- की वसूली एवं 10 प्रतिशत संग्रह व्यय राशि रू 2,56,00,58.32/- की वसूली अर्थात कुल रू 281.61 लाख की धनराशि की वसूली कार्यालय स्तर से लंबित थी।

उपरोक्त के संबंध में अवगत कराये जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी वर्षों में त्वरित प्रयास करते हुये वसूली की कार्यावाही पूर्ण कर ली जायेगी।

अतः लंबित वसूली रू 281.61 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं।

STAN

<u>प्रस्तर-1-</u> आयुधों की नवीनीकरण फीस कम वसूल किये जाने से राजस्व क्षति रू 38345/-

भारत का राजपत्र, भाग-II खण्ड-3 का उपखण्ड(i) दिनांक 15-7-16 की अनुसूची iv तालिका 'क' के अन्तर्गत दिनांक 15-7-16 से आयुधों की नवीनीकरण फीस रू 500/- वार्षिक लिया जाना निर्धारित किया गया है।

कार्यालय जिलाधिकारी अल्मोड़ा के आयुध अनुभाग के अभिलेखों की जांच (जुलाई-2017) में पाया गया कि विभिन्न श्रेणियों के 99 आयुधों/शस्त्रों के नवीनीकरण हेतु दिनांक 15-7-16 से 30-1-17 तक रू 500/- प्रतिवर्ष निर्धारित फीस के स्थान पर कम नवीनीकरण शुल्क आरोपित किया गया था, जिसके परिणामस्वरुप रू 38345/- की राजस्व क्षति हुयी थी, जिस पर नियमानुसार ब्याज भी आरोपणीय था।

उपरोक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड़ शासन, गृह अनुभाग-02 देहरादून के शासनादेश सं-300/आ सं-xx-2/16 ए (8)/2016 दिनांक 23.4.16 जो इस कार्यालय/अनुभाग को 14.10.16 को प्राप्त हुआ के अनुसार शस्त्र धारकों से ली गयी फीस के अतिरिक्त अवशेष धनराशि हेतु पृथक से लाइसेंस धारकों को पत्र प्रेषित किया जायेगा।

अतः लाइसेंस धारकों से शस्त्र नवीनीकरण शुल्क कम वसूले जाने के परिणामस्वरुप रू 38345/- की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ'/भाग 3 (क) प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
सा.क्षे. ले.प.प्रति.-42/2010-11	प्रस्तर 1- वर्ष 1999 से 2005 के मध्य रू 336.15 लाख की लागत से निर्माण की गई पूर्ण पटवारी चौकियों विभाग को हस्तगत किया जाना तथा अपूर्ण कार्यों की लागत रू 18.75 लाख कार्यदायी संस्थाओं के पास अवरूद्ध रहना।	
सा.क्षे. ले.प.प्रति.-32/2015-16	0	1,2
		प्रस्तर 1-वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2009-10 तक पटवारी चौकियों के निर्माण पर धनराशि रू 924.40 लाख का निरर्थक व्यय 91 पटवारी चौकियों में विद्युत संयोजन,एवं 132 चौकियों में पानी संयोजन तथा 10 पटवारी चौकियो का हस्तरान्तरण नही किया जाना। प्रस्तर 2- रू 13.58 लाख विगत 9 वर्षों से कार्यदायी संस्था के पास अवरूद्ध रहना।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
सा.क्षे. ले.प.प्रति.-42/2010-11	भाग-2 (अ) प्रस्तर-01	अनुपालन आख्या उच्चाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त सम्प्रेक्षा को प्रेषित किया जायेगा।		
सा.क्षे. ले.प.प्रति.-32/2015-16	भाग-2 (ब) प्रस्तर-1,2			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, अल्मोड़ा तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य
2. सतत् अनियमितताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री विनोद कुमार सुमन	जिलाधिकारी	विगत लेखापरीक्षा से	10.10.2015
2.	श्री सविन बन्सल	जिलाधिकारी	10.10.2015	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र